

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भूमि सुधार कोषांग)

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,  
बिहार।

**E-mail**

पटना, दिनांक:- .....

विषय:- आम रैयतों को बसुधा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से ऑन-लाईन दाखिल-खारिज आवेदन करने एवं ऑन-लाईन लगान भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य के सभी अंचलों में ऑन-लाईन माध्यम से दाखिल-खारिज एवं लगान भुगतान सुविधा प्रारंभ की गयी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ऑन-लाईन माध्यम से दाखिल-खारिज हेतु आवेदन जमा करने एवं ऑन-लाईन लगान भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पंचायतों में कार्यरत बसुधा केन्द्र (Common Service Centre) को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। आम रैयत निम्नलिखित दर पर बसुधा केन्द्र के माध्यम से दाखिल-खारिज आवेदन जमा कर सकते एवं लगान भुगतान करने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं :-

क्र०सं०	सेवा का नाम	दर
1	पंजी-॥ देखने की सुविधा (View status of Register-ii)	दस (10.00) रू० प्रति जमाबंदी (जी०एस०टी०/टैक्स अतिरिक्त)
2	पंजी-॥ देखने एवं लगान भुगतान की सुविधा (View status of Register-ii & online payment of Lagan)	बीस (20.00) रू० प्रति जमाबंदी + भुगतेय लगान की राशि (जी०एस०टी०/टैक्स अतिरिक्त)
3	दाखिल-खारिज आवेदन जमा करने की सुविधा (Online application for mutation)	चालीस (40.00) रू० प्रति आवेदन (जी०एस०टी०/टैक्स अतिरिक्त) + आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की Scanning एवं Upload किये जाने हेतु एक रूपया पचास पैसा (1.50) रूपये प्रति पेज की दर से देय राशि।

अनुरोध है कि जिलों में कार्यरत बसुधा केन्द्र (Common Service Centre) संचालकों को उक्त विभागीय निर्णय से अवगत कराते हुए ऑन-लाईन दाखिल-खारिज आवेदन जमा कराने एवं लगान भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं उक्त सुविधा की जानकारी आम रैयतों को उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,


ह०/-  
(ब्रजेश मेहरोत्रा)  
प्रधान सचिव।

P.T.O

ज्ञापांक सं०-०८/भू०सु०को० (ऑन-लाईन दाखिल-खारिज)-०१/२०१८-४६.....(८)/रा०, दिनांक- २५-०१-१९

E-mail

प्रतिलिपि:-सभी अपर समाहर्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/ सभी अंचलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव।  
२५/१